STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

सन्दर्भ में : उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार नियोक्ता

<u>मामले का विवरण</u>:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो ___________से प्रभावी है| इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी ("डिवीजन") ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि $___________थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि $ _________थी|

पिछले नियोक्ता से अलगाव के मुद्दे पर दावे को निर्णय के लिए भेजा गया| डॉकेट संख्या ____________ के तहत _________ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, यह पता लगाने के लिए कि दावेदार N.C. Gen.Stat. §96-14( ) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है)| (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी (नाम) द्वारा अपील डॉकेट संख्या _________ के तहत सुनवाई हुई| अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: ________________________| अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14( ) के तहत ______________ तारीख को निर्णय जारी किया जिसमें उसने पाया कि लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार अयोग्य (नहीं) है| **(दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है|**

<u>तथ्यों की खोज:</u>

1. दावेदार ने __________ से ___________ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है| दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, और N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है|

किया| उसने ____________ तारीख को अंतिम बार नियोकता के लिए काम किया|
2. दावेदार ने नियोकता के लिए ___________ तारीख से __________ के रूप में काम करना शुरू

कानून का ज्ञापन:

North Carolina का रोजगार सुरक्षा कानून यह कहता है कि:

> किसी व्यक्ति को लाभ के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि डिवीजन यह निर्धारित करता है कि, व्यक्ति की पूरी या आंशिक बेरोजगारी उस फैक्ट्री, संस्थान, या अन्य परिसर जिस पर व्यक्ति आखिरी बार कार्यरत है या था, में श्रम विवाद में सक्रीय प्रगति के कारण हुई है, या इसी राज्य में किसी अन्य जगह जो उसी नियोक्ता के स्वामित्व वाली या संचालित हो, जो उस फैक्ट्री, संस्थान, या अन्य परिसर का मालिक या संचालन करता हो जहाँ व्यक्ति आखिरी बार कार्यरत है या था, और वह उस परिसर के नियमित और सामान्य ऑपरेशन के लिए आवश्यक सामग्री या सेवाएं प्रदान करता है जिस पर व्यक्ति आखिरी बार कार्यरत है या था। इस उपधारा के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति को श्रम विवाद में सक्रीय प्रगति समाप्त होने के बाद भी अयोग्य घोषित करना जारी रहता है, उस समय के लिए जो संयंत्र, कारखाने, या संस्थान में इस्तेमाल की जानेवाली संचालन प्रक्रिया में शारीरिक रूप से परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए उचित रूप से आवश्यक और अपेक्षित है।

N.C. Gen.Stat. §96-14.7(b).

कानून के निष्कर्ष:

वर्तमान मामले में, सुनवाई में पेश किए गए सक्षम और विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों से किसी भी तरह के प्रतिवादित साक्ष्य का समाधान किया गया है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने योग्य और विस्वसनीय सबूतों और तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि __________________| हस्ताक्षरकरता ने आगे यह निष्कर्ष निकला कि

पूर्ववर्ती के आधार पर, अपील रेफरी के निर्णय में (पुष्टि/बदलाव/संशोधन) होना चाहिए| इसके अलावा, दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए (अपात्र) (अपात्र नहीं) समझा जाना चाहिए।

निर्णय:

अपील रेफरी के निर्णय की **(पुष्टि) (बदलाव) (संशोधन**) हुआ है|

_______से शुरू होनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करने के लिए दावेदार **अपात्र है** |(**अपात्र नहीं है** और _______ से शुरू होनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करेगा(|

बोडर ऑफ़ रिवयु केसदसय Susan Doe र John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निणरय से सहमत हैं|

बोर्ड ऑफ़ रिव्यु

यह ह

चेयरमैन

नोट: यह उचच पराधिकरण का निणरय मेल भेजने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, जब तक की नीचे दिए गए अनुसार, एक नयायिक समीक्षा की याचिका उचचतम नयायालय में दायर ना की गई हो| मेल भेजने की तारीख इस निणरय के अंतिम पृषठ पर मिलेगी| हालांकि बोडर कानूनी सलाह परदान नहीं करता, कृमया उचच पराधिकरण निणरय को अपील करने के लिए अतिरिकत मागरदशरन के लिए संलगन पुसितका देखें| यह पुसितका पूरे राजय के सावरजनिक रोजगार कायारलयों में और रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलबध है| आप रोजगार सुरक्षा विभाग की www.des.nc.gov वेबसाइट पर *फरीकवेंटली आस्कड कवेशचनस* सेकशन को भी देख सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामशर कर सकते हैं|

न्यायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार

इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकर्ता का प्रमुख व्यवसाय स्थान है| यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में प्रमुख व्यवसाय नहीं है, तो अपील को वेक काउंटी, North Carolina के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर किया जाना चाहिए *या* North Carolina की उस काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था|

उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायलय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए|

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए| याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए| उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और डिवीज़न की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट: यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते|

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा निरीक्षित व्यक्ति हो| वकील के निरिक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों| **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए|**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किये जाने वाले सभी दस्तावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे| पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्त्वपूर्ण और प्रभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

दावेदारों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है| यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निर्धारण भेज दिया जाएगा| यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की

राशि और कोई अन्य लागू जुर्माने को निर्दिष्ट करेगा| कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से प्रतिवाद करने का एकमात्र तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर न्यायालय में इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना| आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपात्रता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निर्धारण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है|

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: